न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ)बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/9651 दिनांक – 09.12.25

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 चैनाराम पुत्र द्वारकाराम 2 बजरंग पुत्र बाबुलाल 3 शांति देवी पत्नि बाबुलाल 4 यशपाल पुत्र बाबुलाल नाबालिग जरिये कुदरती वली माता शांति देवी जातियान मेघवाल निवासीयान पूनडो की बस्ती, उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर।		1 आत्माराम पुत्र बींजाराम जाति मेघवाल 2 कमला देवी पत्नि हुकमाराम जाति गवारिया निवासी पूनडो की बस्ती, उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर। 3 चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी बाडमेर 4 तहसीदार बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत

राजस्व आवेदन संख्या :–723/2025 दिनांक– 01/12/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा पूनडो की बस्ती पटवार हल्का उण्डखा तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 157/80 रकबा 0.4856 हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक :– रीडर/2025/9652–55 दिनांक– 09.12.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :–

1. तहसीलदार बाडमेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी उण्डखा तहसील बाडमेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी चैनाराम पुत्र द्वारकाराम वगैराह मेघवाल निवासीयान पूनडो की बस्ती, उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण आत्माराम पुत्र बींजाराम वगैराह जाति मेघवाल वगैराह पूनडो की बस्ती, उण्डखा तहसील व जिला बाडमेर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.12.10 10:12:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर